न्यायालयः– न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या–336/2023
राज्य बनाम कल्पू आदि।
मु०अ०सं०–127/2004
अं०धारा–147, 148, 149, 302, 394 भा०दं०सं०,
व धारा 07 क्रि०ला०अ० ऐक्ट
थाना–देवगांव, जनपद–आजमगढ़।

दिनांक–05.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण रामसरन व कल्लू मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित तथा अभियुक्त रामजन्म जेल से उपस्थित आया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को प्रार्थनापत्र 08 ख पर सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थनापत्र 8 ख अभियुक्तगण कल्पू उर्फ कल्पनाथ व रामसरन की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मात्र पुरानी रंजिश के कारण मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। कमिटल के समय विद्वान अवर न्यायालय ने धारा 207 दं०प्र०सं० के प्रावधानों का अनुपालन नही किया है, आवेदक/अभियुक्तगण को कमिटल के समय एफ०आई०आर० व आरोप पत्र की प्रति दी गयी है, केस डायरी की प्रति न तो पत्रावली में थी और न ही अभियुक्तगण को दी गयी है। कथित घटना में दर्ज एफ०आई०आर० के अवलोकन से अभियुक्तगण को अन्य अभियुक्तों के साथ एक राय होकर देवलास व रामबचन की हत्या किये जाने का अभिकथन किया गया है जो पूर्णतः गलत व निराधार है तथा सत्यता से परे है। आवेदक/अभियुक्त कल्पू उर्फ कल्पनाथ कथित घटना दिनांक 30.05.2004 को केन्द्रीय तार घर इस्टर्न कोर्ट, जनपथ न्यू दिल्ली में वरिष्ठ तार पाल के पद पर कार्यरत थे और नियमित रूप से प्रातः 6.00 बजे से 2.00 बजे दिन तक ड्यूटी पर थे। आवेदक/अभियुक्त रामसरन कथित घटना दिनांक 30.05.2004 को महानगर टेलीफोन लिमिटेड नई दिल्ली में टेलीकाम मकैनिक के पद पर कार्यरत था और अपनी ड्यूटी पर था। अभियुक्तगण को जब उक्त घटना के सम्बंध में पता चला तो अभियुक्त कल्पू ने प्रधानमत्री महोदय भारत सरकार को प्रार्थनापत्र दिया तो प्रधानमत्री महोदय ने उक्त प्रार्थनापत्र को कमीश्नर आफ पुलिस दिल्ली उचित कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दिये। कमिश्नर आफ पुलिस दिल्ली ने प्रार्थनापत्र को आजमगढ़ की पुलिस को पत्र संख्या 2859/एस.डब्ल्यू.डी. (C–IV) दिनांक 16.05.2006 को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया किन्तु आजमगढ़ की पुलिस ने कोई कार्यवाही नही किया। विवेचक ने न तो मुकदमें के अभियुक्तों के सम्बंध में पता लगाया और न ही मुकदमें की सच्चाई का पता लगाया, बल्कि सरसरी तौर पर कुर्की की कार्यवाही करके आरोप पत्र दाखिल कर दिया। वादी मुकदमा व हितबद्धी साक्षियों के साक्ष्य से ज्ञात था कि आवेदक/अभियुक्तगण घटना में सम्मिलित नही थे और दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं फिर भी झूठा साक्ष्य पुलिस के समक्ष दिये थे। आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से पेश किये गये दस्तावेज के आधार पर एवं पुलिस द्वारा की गयी दूषित विवेचना से प्रथमदृष्टा अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध नही बनता है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमें से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवेचक ने अपनी विवेचना में अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पायी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने धारा 161 दं०प्र०सं० के कथनों में घटना का समर्थन किया है। विवेचक ने अपनी विवेचना में अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया है। अतः प्रार्थनापत्र 8 ख निरस्त करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा श्यामलाल राजभर की ओर से घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 127/2004, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 394 भा०दं०सं० व धारा 07 क्रि०ला०अ० ऐक्ट में अभियुक्तगण रामनरायन, सुबाष, मनोज राजभर, रामवृक्ष राजभर, रामजग राजभर, अरुण, रामसरन, कल्पू व रामजन्म के विरुद्ध दर्ज करायी गयी है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण कल्पू, रामजन्म व रामशरन विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 394 भा०दं०सं० व धारा 07 क्रि०ला०अ० ऐक्ट में प्रेषित किया है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था Bharat Parikh vs. C.B.I., 2008 Cr.L.J. 3540(SC) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि न्यायालय को आरोप विरचन के समय मात्र अन्वेषण एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों को संज्ञान में लेना चाहिए। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो आधार लिये गये हैं, उस आधार पर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं से उन्मोचित नही किया जा सकता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 8 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन लंच बाद पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01,
आजमगढ़।

Digitally signed by SATISH CHANDRA DWIVEDI
Date: 2024.07.05 15:33:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court